



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466 (O)

पत्रांक : 19M(02)CAMP(2021-22)- 481

दिनांक : 05/11/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा

झारखण्ड, राँची

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो/ रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रतिकरात्मक वनरोपण" योजना के अंतर्गत विभिन्न अग्रिम कार्यों के संपादन हेतु कुल रू0 544.10518 लाख (पाँच करोड़ चौवालिस लाख दस हजार पाँच सौ बठारह रूपये) मात्र का उप-आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021 - 08/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 13.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021 - 26/आ0 व0प0 राँची, दिनांक 16.09.2021
2. इस कार्यालय का पत्रांक 185 दिनांक 13.05.2021, पत्रांक 186 दिनांक 13.05.2021 एवं ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष- 103-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, उप शीर्ष- 02-"प्रतिकरात्मक वनरोपण" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न अग्रिम कार्यों के संपादन हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रू0 544.10518 लाख (पाँच करोड़ चौवालिस लाख दस हजार पाँच सौ बठारह रूपये) मात्र का उप-आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-


क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
1	मजदूरी	19S24060410302010103	376.68155
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060410302010323	167.42363
कुल :-			544.10518

1. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उप-आवंटन का सारांश अनुलग्नक-2 एवं ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
2. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में लगाये गये शर्तों के अनुरूप ही सभी कार्यों का सम्पादन किया जाय।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृत स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाय।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वन संरक्षण अधिनियम में वन भूमि के अपयोजन के क्रम में क्षतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भारत सरकार को भेजे गये स्थल प्रस्ताव में परिवर्तन नहीं करेंगे। यह भारत सरकार की अनुमति के पश्चात् ही संभव है। (इस कार्यालय का पत्रांक 274 दिनांक 26.07.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय)

*Daya*  
05/11/2021

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थल चयन समिति में स्वीकृत स्थल में ही कार्य सम्पादित करायेंगे। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रेषित सूची/ स्थल में परिवर्तन बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बगैर नहीं किया जायेगा। इस संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापांक 405 एवं 406 दिनांक 04.10.2021 द्वारा निर्गत पत्र के कंडिका iii (ख) का ध्यान रखेंगे।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस कार्य के लिए राशि उप-आवंटित की जा रही है, उसकी राशि पूर्व में ad-hoc CAMPA account में जमा कर दी गई है। स्थानीय बैंक में रखी गई राशि के विरुद्ध किसी भी कार्य को कैम्पा वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित नहीं किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्थल विशिष्ट स्वीकृत प्राक्कलन तथा सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा। यह प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत योजनावार विभागीय कार्य दर के अनुसार प्राक्कलित राशि के अनुरूप होगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के किसी योजना के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग योजना का नाम स्वयं नहीं देंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत किसी दो योजनाओं के प्राक्कलन से किसी item को निकाल कर अलग प्राक्कलन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।
10. अगर संलग्न विवरणी में किसी भी वन प्रमण्डल के पक्ष में प्रदर्शित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में कोई विसंगति पायी जाती है, तो कृपया इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में तुरंत लाया जाय ताकि उसका इस वित्तीय वर्ष में निराकरण किया जा सके।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत कार्य नियोजना/वन्यजीव प्रबंधन योजना के अनुरूप सम्पादित कराया जायेगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित परियोजना के शर्तीय अनुपालन के तहत वन भूमि पर सम्पादित कराये जानेवाले कार्यों का क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य सम्पादित कराया जाय।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्षतिपूरक वनरोपण/ दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण/शर्तीय अनुपालन के तहत कराये जाने वाले अन्य कार्यों का भी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर गठित स्थल चयन समिति से उपयुक्तता तथा FC Act के diversion के समय भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में उपयुक्तता का ध्यान में रखते हुए कार्य सम्पादन कराया जाय।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के कैम्पा वार्षिक कार्य योजना से सम्पादित कराये गये सभी कार्यों से संबंधित सूचनाओं को e-green watch portal पर upload करने के पश्चात् ही राशि की निकासी/व्यय किया जाय।
15. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है -

- (i) Utilization of State Compensatory Afforestation Fund (CAF) shall be done in such a manner that at least 80 per cent is used for afforestation forest development and wildlife habitat improvement and maximum 20 per cent be used for infrastructure/capacity building related items.
- (ii) The State Authorities shall ensure that uploading of the correct KML files and geo-coordinates of afforestation and major undertaken during the year 2020-21 along with their photographs (before plantation and after plantation, and thereafter annually) has been completed,
- (iii) All concerned officers shall also ensure that there is no overlapping of activities/funding with other schemes and may provide a certificate to that effect.
- (iv) Local species, especially fruit and fodder species, has to be given preference in afforestation/regeneration to be carried out; monoculture should not be undertaken, and planting of exotic species shall be avoided.
- (v) Soil and moisture conservation work shall be carried out in an integrated manner under watershed approach from "ridge to valley" only in degraded forests. This



shall focus on assisted natural regeneration and supplemented by artificial seeding with quantifiable monitoring parameters. Construction of dams, stop dams and ponds and their deepening are to be taken up only if they are a part of an integrated soil and moisture conservation plan of the catchment area. Since this component (SWC for regeneration of forests) is a very large work, the efficacy of the design and the activities shall be concurrently monitored by a reputed independent agency. Actions will be, accordingly, taken during the lifetime of each project. The overall impact on improved forest regeneration shall be shared with NAEB (MoEF&CC) on an annual basis.

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली कैम्पा वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 13.09.2021 में अधिरोपित सभी शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जो निम्नवत है :-

16. (I) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
  - (II) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप-कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
  - (III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
17. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।
18. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे-
- (II) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
  - (III) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
  - (IV) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।
  - (V) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
  - (VI) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।
  - (VII) वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृत योजना की प्रारंभिक प्रविष्टि सभी बाउण्ड्री आधारित पॉलीगन पर किया जाय। तदनुसार राशि विमुक्त की जाय।
19. **Monitoring:** विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी:-
- (क) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।
  - (ख) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
20. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

 11/11/2021

- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्रि पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करेंगे।
- (V) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा द्वारा सूचित किया गया है कि योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।
- (VI) योजना का संक्षिप्त ब्यौरा e-green watch पर नियमित रूप से updated किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जायेगी।
- (VII) सभी भुगतान यथासंभव DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (VIII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मस्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।
- (IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
- (X) कंडिका-IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO को होगा।

21. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।


- (II) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय यथासंभव e-GEMS से किया जाय।
- (III) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय यथासंभव e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

22. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान यथासंभव मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में कंडिका 20 (IV) एवं (VIII) संयुक्त रूप से प्रभावी रहेगी।

24. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा को तुरंत देंगे। नियंत्रि एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के निर्देशों का पालन किया जाय।

25. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में कंडिका 20 (VII) का भी अनुपालन किया जायेगा।



26. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

27. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।


28. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

29. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृत्यादेश संख्या - 04/कैम्पा-03/2021-08/स्वी0 दिनांक 13.09.2021 जो इस कार्यालय के ज्ञापांक 356 दिनांक 14.09.2021 द्वारा प्रेषित है में उल्लिखित शर्तों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व उनके संबंधित वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का होगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

आपका विश्वासी,

 05/11/2021


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 19M(02)CAMPA(2021-22)- 481

दिनांक- 05/11/2021

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ हजारीबाग/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ चतरा/ हजारीबाग/ गढ़वा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

 05/11/2021


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 19M(02)CAMPA(2021-22)- 481

दिनांक- 05/11/2021

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ रामगढ़/ चतरा/ हजारीबाग/ कोडरमा/ गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

 05/11/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड कैम्पा  
वार्षिक कार्य योजना 2021-22 : उपशीर्ष "02-प्रतिकरात्मक वनरोपण"

(मजदूरी दर : ₹0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	क्षतिपूरक / दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का अग्रिम कार्य एवं शारीय अनुपालन से संबंधित अन्य कार्य (अग्रिम कार्य)																सकल योग		
		क्षतिपूरक / दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण का अग्रिम कार्य								शारीय स्वीकृत कार्य का अनुपालन										
		ब्लॉक कृषारोपण				रैखिक कृषारोपण				सिल्मीकल्चर, प्राकृतिक पुनर्जनन एवं भू-जल संरक्षण कार्य				भू एवं जल संरक्षण कार्य						
		वन भूमि कृषारोपण				गैरिवन सं०														
भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (गैरिवन)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	---	---	---	---	---	---	---	---	210.000	84.99309	27.81059	112.80368	---	---	---	---	84.99309	27.81059	112.80368
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	---	---	---	---	1,330	8.57122	6.09672	14.66794	---	---	---	---	---	---	---	---	8.57122	6.09672	14.66794
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	150.000	78.45516	47.67969	126.13485	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	78.45516	47.67969	126.13485
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	50.000	26.15172	15.89323	42.04495	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26.15172	15.89323	42.04495
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	150.000	57.90738	40.80703	98.71441	---	---	---	---	---	---	---	---	186.430	53.97836	---	53.97836	111.88574	40.80703	152.69277
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	---	---	---	---	---	---	---	---	100.000	40.47290	13.24314	53.71604	---	---	---	---	40.47290	13.24314	53.71604
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	50.000	26.15172	15.89323	42.04495	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26.15172	15.89323	42.04495
	सकल योग	400.000	188.66598	120.27318	308.93916	1,330	8.57122	6.09672	14.66794	310.000	125.46599	41.05373	166.51972	186.430	53.97836	---	53.97836	376.68155	167.42363	544.10518

*Sanyal*  
05/11/2021  
अपर प्रधान मुख्य वन सहायक,  
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।  
05/11


## वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S24060410302010103	19S24060410302010323	Total
1	2	3	4	5	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	8
1	Bokaro	BKRFOR001	Arun Kumar Singh	D F O, Bokaro	₹84,99,309.00 (56838)	₹27,81,059.00 (56848)	₹1,12,80,3 68.00
2	Ramgarh	HZBFOR001	Div. Forest Officer Ramgarh	Div. Forest Officer	₹8,57,122.00 (56839)	₹6,09,672.00 (56849)	₹14,66,7 94.00
3	Chatra	CTRFOR003	Surendra Prasad Suman	D.F.O. South Divn. Chatra	₹78,45,516.00 (56840)	₹47,67,969.00 (56850)	₹1,26,13,4 -85.00
4	Hazaribagh	HZBFWL009	Sourav Chandra	Div. Forest Officer East	₹26,15,172.00 (56843)	₹15,89,323.00 (56851)	₹42,04,4 -95.00
5	Hazaribagh	HZBFWL005	Ravindra Nath Mishra I.F.S.	D.F.O., Hazaribag West Div,Hzb	₹1,11,88,574.00 (56844)	₹40,80,703.00 (56854)	₹1,52,69,2 :77.00
6	Koderma	KDMFORA01	Suraj Kumar Singh	D.F.O. Koderma	₹40,47,290.00 (56846)	₹13,24,314.00 (56858)	₹53,71,6 :04.00
7	Garhwa	GRHFWL004	Shashi Kumar	D.F.O. South Div.Garhwa	₹26,15,172.00 (56847)	₹15,89,323.00 (56859)	₹42,04,4 :95.00

कुल आवंटित राशि :- ₹5,44,10,518.00 ( ikWp djksM pokyhl yk[k nl gtkj ikWp lkS vBkjg ) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

  
 (SANJEEV KUMAR)  
 ADDL.PCCF.CAMPA JHARKHAND RAN...C  
 Addl. PCCF. CAM...A  
 Jharkhand, Ranc...i  
 009  
 05/11



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

अनुलग्नक-3

चाहू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 19M02CAMP-2021/481

दिनांक - 05-Nov-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	56838	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	8,499,309.00 रुपये चौरासी लाख निम्नानवे हजार तीन सौ नौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	56839	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 03 - मजदूरी	857,122.00 रुपये आठ लाख सत्तावन हजार एक सौ बाइस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060410302010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	56840	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	7,845,516.00 रुपये अठहत्तर लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ सोलह
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड बहत्तर लाख एक हजार नौ सौ पैतालीस

17,201,947.00

क्रमिक योग:

*Sanjeev Kumar*  
(SANJEEV KUMAR) 05/11/2021

ADDL PCC CAMP, JHARKHAND



क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060410302010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	56843	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	2,615,172.00 रुपये छब्बीस लाख पंद्रह हजार एक सौ बहत्तर
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060410302010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	56844	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB 03 - मजदूरी	11,188,574.00 रुपये एक करोड ग्यारह लाख अठ्यासी हजार पाँच सौ चौहत्तर
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060410302010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	56846	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	4,047,290.00 रुपये चालीस लाख सैतालीस हजार दो सौ नब्बे
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 17,851,036.00  
रुपये तीन करोड पचास लाख बावन हजार नौ सौ तिरयासी

क्रमिक योग: 35,052,983.00

(SANJEEV KUMAR)  
ADDL PCCF, CAMPA, JHARKHAND  
5/11/2021  
Jharkhand, Ranchi

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060410302010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	56847	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	2,615,172.00 रुपये छब्बीस लाख पंद्रह हजार एक सौ बहत्तर
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060410302010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	56848	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,781,059.00 रुपये सत्ताइस लाख इक्कयासी हजार उनमत्त
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060410302010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	56849	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	609,672.00 रुपये छः लाख नौ हजार छः सौ बहत्तर
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 6,005,903.00  
रुपये चार करोड दस लाख अठावन हजार आठ सौ छियासी

क्रमिक योग: 41,058,886.00  
(SANJEEV KUMAR)  
05/11/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय  State Scheme : NA Central Scheme : NA	56850	CTRFOR003  SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	4,767,969.00  रुपये सैतालीस लाख सड़सठ हजार नौ सौ उनहत्तर
11	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय  State Scheme : NA Central Scheme : NA	56851	HZBFWL009  SOURAV CHANDRA  DIV. FOREST OFFICE EAST  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,589,323.00  रुपये पंद्रह लाख नवासी हजार तीन सौ तेइस
12	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय  State Scheme : NA Central Scheme : NA	56854	HZBFWL005  RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	4,080,703.00  रुपये चालीस लाख अस्सी हजार पाच सौ तीन

योग: 10,437,995.00  
रुपये पाँच करोड चौदह लाख छयानवे हजार आठ सौ इक्कयासी

क्रमिक योग: 51,496,881.00

(SANJEEV KUMAR)  
ADDL PCCF, CAMPA, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	56858	KDMFORA01  SURAJ KUMAR SINGH  D.F.O. KODERMA  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,324,314.00  रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ चौदह
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060410302010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 02 - प्रतिकरात्मक वनरोपण 01-प्रतिकरात्मक वनरोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	56859	GRHFWL004  SHASHI KUMAR  D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA  23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,589,323.00  रुपये पंद्रह लाख नवासी हजार तीन सौ तेइस
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:				2,913,637.00
क्रमिक योग:	रुपये पाँच करोड चवालीस लाख दस हजार पाँच सौ अठारह			54,410,518.00
			<i>Sanjeev Kumar</i> (SANJEEV KUMAR) 05/11/2021 ADDL PCCF CAMPA JHARKHAND	